स्पेशल टास्क फोर्स, उ0प्र0 लखनऊ।

प्रेस–नोट संख्याः 301, दिनांक 11–10–2024

थाना खानपुर, जनपद गाजीपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 325/2016 मे वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित शातिर अपराधी प्रदीप कुमार लखनऊ से गिरफ्तार।

दिनाक 10–10–2024 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को थाना खानपुर जनपद गाजीपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 325/2016 धारा 302/201/364/120बी/34 भा0द0वि0 में वांछित रू0 50,000/–का पुरस्कार घोषित शातिर अपराधी प्रदीप कुमार को लखनऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–
प्रदीप कुमार पुत्र स्व0 रामअवध राम निवासी सिंहपुर रकैचा, थाना तरवॉ, जनपद आजमगढ।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–
चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ के पास, थाना नाका हिण्डोला, कमिश्नरेट लखनऊ। दिनांक 10–10–2024

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में श्री शैलेश प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 वाराणसी के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री अमित श्रीवास्तव, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी द्वारा अपनी टीम के साथ अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन हेतु एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, वाराणसी की टीम जनपद लखनऊ में मौजूद थी कि विश्वस्त सूत्र के माध्यम से ज्ञात हुआ कि थाना खानपुर, जनपद गाजीपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 325/2016 धारा धारा 302/201/364/120बी/34 भा0द0वि0 में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित शातिर अपराधी प्रदीप कुमार चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ के पास मौजूद है, यदि शीघ्रता की जाय तो पकडा जा सकता है। इस सूचना पर एस0टी0एफ0 टीम द्वारा मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचकर प्रदीप कुमार उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

अभिसूचना संकलन एवं गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ से पाया गया कि अभियुक्त प्रदीप कुमार के पिता रामअवध राम कस्बा व थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ में आशीष नर्सिंग होम के नाम हास्पिटल चलाते थे। रामअवध राम का अपने हास्पिटल के ही एक महिला सहकर्मी से संबंध हो गया था, जिसको लेकर रामअवध का अपने परिवार से विवाद रहने लगा, जिसके कारण कुछ दिनों के बाद चिरैयाकोट में अपना हास्पिटल बन्द कर रामवअवध राम अपने महिला सहकर्मी के साथ जहानागंज, जनपद आजमगढ में हास्पिटल खोल लिया। इसके कुछ दिन के उपरान्त रामअवध राम दिनांक 11–07–2016 को अचानक गायब हो गया। इसी दौरान दिनांक 11–07–2016 को एक अज्ञात शव जनपद गाजीपुर के थाना खानपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्रामसभा क्षेत्र सादीभादी में मिला था। इस संबंध ग्राम प्रधान सादीभादी की

सूचना पर थाना खानपुर पर मु0अ0सं0 325/2016 धारा 302/201/364/ 120बी/34 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ था। उक्त अज्ञात शव की शिनाख्त कुछ माह बाद रामअवध राम के रूप में हुई थी। स्थानीय पुलिस की विवेचना से उक्त घटना में रामअवध राम की पत्नी व इसके बेटे प्रदीप कुमार, संदीप कुमार व आशीष कुमार का नाम प्रकाश में आये, जिसमें से प्रदीप कुमार को छोडकर शेष अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर स्थानीय पुलिस द्वारा जेल भेजा जा चुका था। प्रदीप कुमार वर्ष 2016 से ही फरार चल रहा था, जिसे एस0टी0एफ0 द्वारा दिनांक 10–10–2024 को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने घटना के संबंध में बताया कि उसके पिता घर आये जहॉ महिला सहकर्मी को लेकर घर में विवाद हो गया, जिसके दौरान वह और उसके भाई व मॉ ने मिलकर रामअवध की रस्सी से गला दबाकर हत्या कर शव को बोरे में भर कर औडिहार वाले रोड पर सादीभादी गांव के पास फेंक दिया था। उक्त घटना के खुल जाने पर जब उसके भाई व मॉ जेल चले गये तो वह तभी से लुकछिप कर रह रहा था।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त प्रदीप कुमार को मु0अ0सं0 325/2016 धारा 302/201/364/ 120बी/34 भा0द0वि0 में थाना खानपुर, जनपद गाजीपुर में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा किया जा रहा है।